



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-768

दिनांक-11.05.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा दहेज उत्पीड़न से परेशान विवाहिता की आत्महत्या प्रकरण में आरोपी दहेज हत्यारोपी वांछित पति व सास को किया गया गिरफ्तार

- थाना वजीरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों नामजद आरोपी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
- दहेज मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज
- दहेज हत्या प्रकरण में मु0अ0सं0 107/2026 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई
- गिरफ्तार अभियुक्तों में मृतका का पति अंकित शर्मा उर्फ पुरुषोत्तम व सास शिवलली शर्मा शामिल
- थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा कुण्डरी, रकाबगंज क्षेत्र से की गई गिरफ्तारी

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.05.2026 को वादी श्री माता बक्श शर्मा पुत्र स्व0 अशर्फीलाल शर्मा निवासी- ग्राम रतनपुर पोस्ट- शेरपुर थाना- बाबा बाजार जिला- अयोध्या उम्र- 58 वर्ष की लिखित तहरीरी सूचना बावत नामित अभियुक्तगण अंकित उर्फ पुरुषोत्तम (पति) आदि द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जिससे वादी की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 107/2026 धारा- 85/80(2) BNS व 3/4 DP Act. पंजीकृत हुआ।



मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगणों की तलाश पतारसी जारी थी जिसमें आज दिनांक 11.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. अंकित शर्मा उर्फ पुरुषोत्तम (पति) पुत्र स्व0 चन्द्रकेश शर्मा निवासी- ग्राम नसीपुर थाना असन्दरा जिला- बाराबंकी उम्र- 28 वर्ष हाल पता- कुण्डरी, रकाबगंज थाना वजीरगंज, लखनऊ 2. श्रीमती शिवलली शर्मा (सास) पत्नी स्व0 चन्द्रकेश शर्मा निवासिनी- ग्राम नसीपुर थाना असन्दरा जिला- बाराबंकी उम्र- 55 वर्ष हाल पता- कुण्डरी, रकाबगंज थाना वजीरगंज, लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण उपरोक्त को अंकित पते कुण्डरी, रकाबगंज थाना वजीरगंज, लखनऊ से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एवं माइयूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि कभी भी हम लोगों ने दहेज के लिये प्रताड़ित नहीं किया लेकिन फिर भी न जाने क्यूँ उसने फाँसी लगाकर सुसाइड कर लिया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अंकित शर्मा उर्फ पुरुषोत्तम (पति) पुत्र स्व0 चन्द्रकेश शर्मा निवासी- ग्राम नसीपुर थाना असन्दरा जिला- बाराबंकी उम्र- 28 वर्ष हाल पता- कुण्डरी, रकाबगंज थाना वजीरगंज, लखनऊ
2. श्रीमती शिवलली शर्मा (सास) पत्नी स्व0 चन्द्रकेश शर्मा निवासिनी- ग्राम नसीपुर थाना असन्दरा जिला- बाराबंकी उम्र- 55 वर्ष हाल पता- कुण्डरी, रकाबगंज थाना वजीरगंज, लखनऊ

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 107/2026 धारा- 85/80(2) BNS व 3/4 DP Act. थाना वजीरगंज, लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

- प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
- उ0नि0 श्री रजत सिंह थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
- का0 गोविन्द रमन गौड़ थाना वजीरगंज लखनऊ ।
- म0का0 जयवन्ती थाना वजीरगंज लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-770
दिनांक-11.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना- सैरपुर, लखनऊ

स्वाट/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया(इंस्टाग्राम) पर दोस्ती कर धर्म परिवर्तन न करने पर विडियो वायरल करने वाले 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
- वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग पर बनाता था मानसिक दबाव
- स्वाट/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी व थाना सैरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
- अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वीवो मोबाइल फोन बरामद
- नाबालिग की तहरीर पर आईटी एक्ट व पाक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर किसान पथ क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी

01- कार्यवाही का विवरण

पुलिस आयुक्तेट लखनऊ में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज के मार्गदर्शन में स्वाट/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी एवं थाना सैरपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग बालिका को धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाने एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।



01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10/05/2026 को आगन्तुका उम्र करीब 15 वर्ष द्वारा दी गयी तहरीर सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर दोस्ती कर धर्म परिवर्तन न करने पर वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 47/2026 धारा 74/351(3)/352 बीएनएस, 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संमपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, 67 आईटी एट व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 11.05.2026 को थाना सैरपुर पुलिस टीम एवं स्वाट/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी सैरपुर बाजार क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाला युवक रैथा अण्डरपास से चन्द्रिका देवी मार्ग की ओर किसान पथ के पास मौजूद है।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम **शोएब उर्फ सौरभ सिंह पुत्र सुबराती** निवासी ग्राम कर्दा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, हाल पता मुस्लिम नगर निकट मस्जिद थाना जानकीपुरम लखनऊ बताया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद** हुआ, जिसका प्रयोग घटना में किया गया था। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

02- अपराध का तरीका:-

अभियुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग बालिका से संपर्क कर उससे दोस्ती करता था। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाकर वह बालिका पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा।

विरोध करने एवं उसकी बात न मानने पर अभियुक्त द्वारा बालिका की वीडियो/फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर मानसिक रूप से भयभीत एवं प्रताड़ित किया जाता था।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

- शोएब उर्फ सौरभ सिंह पुत्र सुबराती निवासी ग्राम कर्दा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, हाल पता मुस्लिम नगर निकट मस्जिद थाना जानकीपुरम लखनऊ, उम्र करीब 19 वर्ष (पेशा – सैलून संचालक)

04-बरामदगी:-

- एक अदद वीवो कम्पनी का मोबाइल

05-अनावरित अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 47/2026 धारा 74/351(3)/352 बीएनएस, 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संमपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, 67 आईटी एट व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना सैरपुर जनपद लखनऊ

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

पुलिस उपायुक्त उत्तरी स्वाट / सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी		सैरपुर पुलिस टीम
स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री दीपक कुमार		थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी
हे0का0 अवधेश गिरी		म0 उ0नि0 अनामिका सिंह
हे0का0 नदीम		का0 अरविन्द कुमार वर्मा
हे0का0 संतोष कुमार		का0 राम निवास
हे0का0 अमित कुमार गौतम		
का0 विशेष दुहुण		
का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह		



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-769

दिनांक-11.05.2026

जोन पश्चिमी / थाना सआदतगंज

चोरी की घटना का सफल अनावरण: 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में आभूषण, नगदी व मोबाइल (कीमत करीब 03 लाख 50 हजार) बरामद

- थाना सआदतगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का किया सफल अनावरण
- दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के आभूषण, नगदी व मोबाइल फोन बरामद
- बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 03 लाख 50 हजार रुपये
- बंद मकानों की रेकी कर ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम
- सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन की मदद से पुलिस को मिली बड़ी सफलता
- गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद जमाल के विरुद्ध चोरी के कई मुकदमे पहले से दर्ज

01- कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी तथा सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला के कुशल पर्यवेक्षण में थाना सआदतगंज पुलिस एवं सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 11.05.2026 को थाना सआदतगंज पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-97/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण—

1. इमरान पुत्र इदरीश निवासी शाहगंज तकिया थाना चौक लखनऊ (हाल पता- वजीरबाग, सआदतगंज)
2. मोहम्मद जमाल पुत्र मो0 फिरोज निवासी बीबीगंज थाना सआदतगंज लखनऊ (हाल पता- सोना भट्टा थाना ठाकुरगंज) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया।



02.घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 10.05.2026 को वादी श्री मुजीब पुत्र जाहिद अली निवासी 433/208 रामनगर कैम्पवेल रोड बालागंज थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा सूचना दी गयी कि उनके घर से अज्ञात चोरों द्वारा जेवरात, नगदी व अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। सूचना के आधार पर थाना सआदतगंज पर मु0अ0सं0-97/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम ने सर्विलांस सेल की सहायता से त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का सफल खुलासा कर दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 10.05.2026 की भोर में रामनगर क्षेत्र स्थित एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था तथा चोरी किये गये माल को बेचने की तैयारी कर रहे थे।

बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

03. अभियुक्तों का कार्य करने का तरीका:

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे सुनसान एवं बंद मकानों की रेकी कर रात्रि अथवा भोर के समय ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी किये गये सामान को आपस में बांटकर बेचकर अपने शौक एवं खर्च पूरे करते थे।

04. बरामदगी का विवरण:

- 01-नगद रुपये – ₹23,700/-
- 02-सफेद धातु के आभूषण – 04 जोड़ी पायल व 01 चैन (कुल वजन 238 ग्राम)
- 03-पीली धातु के आभूषण – 01 लाकेट व मंगलसूत्र (कुल वजन 14.57 ग्राम)
- 04-03 अदद मोबाइल फोन (रेडमी, इनफिनिक्स, रियलमी)

कुल अनुमानित कीमत – लगभग ₹3,50,000/-

05. पंजीकृत अभियोग:

1. मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना सआदतगंज लखनऊ

06. गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इमरान पुत्र इदरीश, निवासी- शाहगंज तकिया, थाना चौक, लखनऊ (हाल पता- वजीरबाग, सआदतगंज) उम्र करीब 30 वर्ष

2. मोहम्मद जमाल पुत्र मो0 फिरोज, निवासी- बीबीगंज, थाना सआदतगंज, लखनऊ (हाल पता- सोना भट्टा, थाना ठाकुरगंज) उम्र करीब 28 वर्ष

07. अपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त मोहम्मद जमाल के विरुद्ध थाना ठाकुरगंज एवं अन्य थानों में चोरी एवं चोरी के माल की बरामदगी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिससे उसका शातिर अपराधी होना प्रकाश में आया है।

1. मु0अ0सं0 370/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना पारा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 245/19 धारा 380/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. मु0अ0सं0 338/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. मु0अ0सं0 348/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
5. मु0अ0सं0 645/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
6. मु0अ0सं0 646/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
7. मु0अ0सं0 771/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
8. मु0अ0सं0 838/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
9. मु0अ0सं0 25/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
10. मु0अ0सं0 53/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
11. मु0अ0सं0 210/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ
12. मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना सआदतगंज लखनऊ

1. अभि0 इमरान पुत्र इदरीश, निवासी- शाहगंज तकिया, थाना चौक, लखनऊ (हाल पता- वजीरबाग, सआदतगंज)।

1. मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305/331(4)/317(2) BNS थाना सआदतगंज लखनऊ

07.पुलिस टीम का विवरण:

1. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार
2. उ0नि0 रंजीत सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन
3. उ0नि0 आशीष बालियान सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन
4. का0 विनोद कुमार
5. का0 आशीष पाल
6. का0 अभिलेख चौधरी
7. का0 अवनीश कुमार
8. का0 अकील खान (चालक)
9. हे0का0 वीर सिंह
10. हे0का0 प्रदीप तिवारी
11. का0 आशीष कुमार कुशवाहा



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-774

दिनांक-11.05.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-पीजीआई

- पैसे के लेन देन को लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- पीड़िता के पति को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित एवं प्रताड़ित किया।
- लाखों की लेनदारी करके वापस न करने को लेकर युवक ने की थी आत्महत्या।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2025 को वादिनी श्रीमती नीतू पत्नी स्व सचिन कुशवाहा निवासिनी- सी-2/223-224 सेक्टर- 16. रोहिनी, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-110089 लखनऊ की तहरीरी सूचना पर- मु०अ०सं० 330/2025 धारा 108/316(2) बीएनएस बनाम मुकेश वर्मा प्रो आरती इण्टरप्राइजेज बी-64/87, बी-1. शिवपुरवा, वाराणसी. उप्र, निवासी-द्वारा शिव शंकर वर्मा, 10/847 विवेकानन्द कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ से सम्बन्धित मुकदमा पजीकृत किया गया

उपरोक्त अभियुक्त द्वारा प्रार्थिनी के पति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया एवं प्रताड़ित किया गया था उपरोक्त द्वारा पीड़िता के पति से लाखों की लेनदारी करके पैसे वापस न करने से उत्पीड़ित होकर आत्महत्या की गयी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त मुकेश वर्मा प्रो आरती इण्टरप्राइजेज बी-64/87, बी-1. शिवपुरवा, वाराणसी. उप्र, निवासी-द्वारा शिव शंकर वर्मा, 10/847 विवेकानन्द कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ दिनांक 11.05.2026 को सेक्टर 12 चौराहा वृन्दावन कालोनी के पास से गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मुकेश वर्मा पुत्र स्व० शिवशंकर वर्मा निवासी ग्राम बासुदेवपुर थाना ईशुपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर हाल पता सलेमपुर वार्ड न०-6 सलाहाबाद थाना सलेमपुर जिला देवरिया उम्र करीब 37 वर्ष।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 330/2025 धारा 108/316(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-774

दिनांक-11.05.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-पीजीआई

- पैसे के लेन देन को लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने वाला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- पीड़िता के पति को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित एवं प्रताड़ित किया।
- लाखों की लेनदारी करके वापस न करने को लेकर युवक ने की थी आत्महत्या।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2025 को वादिनी श्रीमती नीतू पत्नी स्व सचिन कुशवाहा निवासिनी- सी-2/223-224 सेक्टर- 16. रोहिनी, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-110089 लखनऊ की तहरीरी सूचना पर- मु०अ०सं० 330/2025 धारा 108/316(2) बीएनएस बनाम मुकेश वर्मा प्रो आरती इण्टरप्राइजेज बी-64/87, बी-1. शिवपुरवा, वाराणसी. उप्र, निवासी-द्वारा शिव शंकर वर्मा, 10/847 विवेकानन्द कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ से सम्बन्धित मुकदमा पजीकृत किया गया

उपरोक्त अभियुक्त द्वारा प्रार्थिनी के पति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया एवं प्रताड़ित किया गया था उपरोक्त द्वारा पीड़िता के पति से लाखों की लेनदारी करके पैसे वापस न करने से उत्पीड़ित होकर आत्महत्या की गयी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त मुकेश वर्मा प्रो आरती इण्टरप्राइजेज बी-64/87, बी-1. शिवपुरवा, वाराणसी. उप्र, निवासी-द्वारा शिव शंकर वर्मा, 10/847 विवेकानन्द कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ दिनांक 11.05.2026 को सेक्टर 12 चौराहा वृन्दावन कालोनी के पास से गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मुकेश वर्मा पुत्र स्व० शिवशंकर वर्मा निवासी ग्राम बासुदेवपुर थाना ईशुपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर हाल पता सलेमपुर वार्ड न०-6 सलाहाबाद थाना सलेमपुर जिला देवरिया उम्र करीब 37 वर्ष।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 330/2025 धारा 108/316(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-773

दिनांक-11.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

थाना पीजीआई पुलिस ने चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

- अभियुक्त के कब्जे से ₹3250 नगद, चोरी का सामान एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद
- सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त तक पहुंच बनाई
- अभियुक्त ने साथी शिवम सोनवानी उर्फ मैगी के साथ मिलकर वृन्दावन योजना में चोरी करना स्वीकार किया
- सेक्टर-6 वृन्दावन योजना में भी चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों के जाग जाने पर फरार हो गये थे
- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट एवं संगठित अपराध से संबंधित करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.04.2026 को वादी मुकदमा राम बाबू पता वृन्दावन सेक्टर आठ थाना पीजीआई लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु०अ०स०- 232/2026 अंतर्गत धारा 305(a)बीएनएस बनाम अज्ञात थाना पीजीआई जनपद लखनऊ,सम्बन्धित अज्ञात द्वारा घर का ताला तोड़ कर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयीं। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया।

आज दिनांक 11.05.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उत्तरेठिया रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज के बगल जंगल से अभियुक्त अभिषेक गौतम उर्फ टीटू पुत्र स्व० विनोद निवासी 358/176 बिहारी पुर थाना सआदतगंज, जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तारी कर कब्जे से 500 रु० के 6 नोट तथा 100 रु० का 02 नोट, 50 रु० का एक नोट कुल 3250/- रुपये बरामद हुए ,तथा पीठ पर टाँगे पिट्टू बैग से एक रायल ब्लू कलर का ज्वैलरी बाक्स,01 अदद एटीएम कार्ड बरामद तथा कमर मे खोसा हुआ मोबाइल मैट्रोला ,ज्वैलरी बाक्स को खोलकर देखा गया तो एक सफेद धातू की एक प्लेट जिस पर अंग्रेजी में I'MA SANGRONIAN SANGRO GOLF CUP WINNER दिनांक 04 April 2026 छपा हुआ है तथा एटीएम कार्ड SBI CARD जिसका नं० 4047 4575 1645 9426 valid thru 02/31 RAJESH SHAH अंकित है उपरोक्त अभियुक्त थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 243/2026 धारा 305(ए)/62 बीएनएस पंजीकृत है ज्वैलरी बाक्स उसी घटना से सम्बन्धित है चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चोरी करने का अभ्यस्त अपराधी है जिसके द्वारा कई चोरी की गयी है अभियुक्त द्वारा बताया की मैंने रात में अन्य साथी शिवम सोनवानी उर्फ मैगी पुत्र महेन्द्र निवासी लकड़ मन्डी, सआदतगंज लखनऊ, के साथ मिलकर सेक्टर 08 बी वृन्दावन योजना में घर मे चोरी की जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स०- 232/2026 अंतर्गत धारा 305(a)बीएनएस पंजीकृत है एंवम् अभियुक्त व उसके साथी ने सेक्टर 6 वृन्दावन योजना मे ओर्नेट होटल के पास भी घर मे चोरी करने का प्रयास किया था परन्तु घर के लोगो के जग जाने के कारण चोरी नही कर पाए।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अभिषेक गौतम उर्फ टीटू पुत्र स्व० विनोद निवासी 358/176 बिहारी पुर थाना सआदतगंज, जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष ।

04-आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-561/2019 धारा 380,411 भादवि थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ
2. मु०अ०सं०-109/2024 धारा 34,380,411,457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
3. मु०अ०सं०-0126/2024 धारा 34,380,411,457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
4. मु०अ०सं०-0474/2020 धारा 380,411 भादवि थाना काकोरी जनपद लखनऊ ।
5. मु०अ०सं०-628/2025 धारा 305(a),317(2),331 बीएनएस थाना मंडियांव जनपद लखनऊ ।
6. मु०अ०सं०-342/2019 धारा 380,411,457 बीएनएस, थाना सादत गंज जनपद लखनऊ ।
7. मु०अ०सं०-0252/2020 धारा 411,413,414 बीएनएस, थाना सादत गंज जनपद लखनऊ ।
8. मु०अ०सं०-0140/2021 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ ।
9. मु०अ०सं०-0144/2021 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
10. मु०अ०सं०-148/2021 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
11. मु०अ०सं०-0072/2022 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
12. मु०अ०सं०-142/2022 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
13. मु०अ०सं०-296/2022 धारा 379,411 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
14. मु०अ०सं०-297/2022 धारा 25,3 आर्म्स एक्ट थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
15. मु०अ०सं०-0078/2023 धारा 25,3 आर्म्स एक्ट थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
16. मु०अ०सं०-0357/2020 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
17. मु०अ०सं०-0484/2020 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
18. मु०अ०सं०-0361/2024 धारा 305(a),317(2),331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
19. मु०अ०सं०-0396/2024 धारा 305(a),317(2),331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं०- 232/2026 अंतर्गत धारा 305(a)बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना पीजीआई लखनऊ ।
2. मु०अ०सं०-243/2026 धारा 305(ए)/62 बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण -

1. कुल 3250/- रूपये बरामद।
2. 01 अदद मोटर साइकिल संख्या UP32MJ6152।
3. एक प्लेट जिस पर अंग्रेजी में I'MA SANGRONIAN SANGRO GOLF CUP WINNER दिनांक 04 April 2026 छपा हुआ ।
4. एटीएम कार्ड SBI CARD जिसका नं० 4047 4575 1645 9426 valid thru 02/31 RAJESH SHAH ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-773

दिनांक-11.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

थाना पीजीआई पुलिस ने चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

- अभियुक्त के कब्जे से ₹3250 नगद, चोरी का सामान एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद
- सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त तक पहुंच बनाई
- अभियुक्त ने साथी शिवम सोनवानी उर्फ मैगी के साथ मिलकर वृन्दावन योजना में चोरी करना स्वीकार किया
- सेक्टर-6 वृन्दावन योजना में भी चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों के जाग जाने पर फरार हो गये थे
- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध चोरी, आर्म्स एक्ट एवं संगठित अपराध से संबंधित करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.04.2026 को वादी मुकदमा राम बाबू पता वृन्दावन सेक्टर आठ थाना पीजीआई लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु०अ०स०- 232/2026 अंतर्गत धारा 305(a)बीएनएस बनाम अज्ञात थाना पीजीआई जनपद लखनऊ,सम्बन्धित अज्ञात द्वारा घर का ताला तोड़ कर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गयीं। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया।

आज दिनांक 11.05.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उत्तरेठिया रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज के बगल जंगल से अभियुक्त अभिषेक गौतम उर्फ टीटू पुत्र स्व० विनोद निवासी 358/176 बिहारी पुर थाना सआदतगंज, जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तारी कर कब्जे से 500 रु० के 6 नोट तथा 100 रु० का 02 नोट, 50 रु० का एक नोट कुल 3250/- रुपये बरामद हुए ,तथा पीठ पर टाँगे पिट्टू बैग से एक रायल ब्लू कलर का ज्वैलरी बाक्स,01 अदद एटीएम कार्ड बरामद तथा कमर मे खोसा हुआ मोबाइल मैट्रोला ,ज्वैलरी बाक्स को खोलकर देखा गया तो एक सफेद धातू की एक प्लेट जिस पर अंग्रेजी में I'MA SANGRONIAN SANGRO GOLF CUP WINNER दिनांक 04 April 2026 छपा हुआ है तथा एटीएम कार्ड SBI CARD जिसका नं० 4047 4575 1645 9426 valid thru 02/31 RAJESH SHAH अंकित है उपरोक्त अभियुक्त थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 243/2026 धारा 305(ए)/62 बीएनएस पंजीकृत है ज्वैलरी बाक्स उसी घटना से सम्बन्धित है चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चोरी करने का अभ्यस्त अपराधी है जिसके द्वारा कई चोरी की गयी है अभियुक्त द्वारा बताया की मैंने रात में अन्य साथी शिवम सोनवानी उर्फ मैगी पुत्र महेन्द्र निवासी लकड़ मन्डी, सआदतगंज लखनऊ, के साथ मिलकर सेक्टर 08 बी वृन्दावन योजना में घर मे चोरी की जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स०- 232/2026 अंतर्गत धारा 305(a)बीएनएस पंजीकृत है एंवम् अभियुक्त व उसके साथी ने सेक्टर 6 वृन्दावन योजना मे ओर्नेट होटल के पास भी घर मे चोरी करने का प्रयास किया था परन्तु घर के लोगो के जग जाने के कारण चोरी नही कर पाए।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अभिषेक गौतम उर्फ टीटू पुत्र स्व० विनोद निवासी 358/176 बिहारी पुर थाना सआदतगंज, जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष ।

04-आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-561/2019 धारा 380,411 भादवि थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ
2. मु०अ०सं०-109/2024 धारा 34,380,411,457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
3. मु०अ०सं०-0126/2024 धारा 34,380,411,457 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
4. मु०अ०सं०-0474/2020 धारा 380,411 भादवि थाना काकोरी जनपद लखनऊ ।
5. मु०अ०सं०-628/2025 धारा 305(a),317(2),331 बीएनएस थाना मंडियांव जनपद लखनऊ ।
6. मु०अ०सं०-342/2019 धारा 380,411,457 बीएनएस, थाना सादत गंज जनपद लखनऊ ।
7. मु०अ०सं०-0252/2020 धारा 411,413,414 बीएनएस, थाना सादत गंज जनपद लखनऊ ।
8. मु०अ०सं०-0140/2021 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ ।
9. मु०अ०सं०-0144/2021 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
10. मु०अ०सं०-148/2021 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
11. मु०अ०सं०-0072/2022 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
12. मु०अ०सं०-142/2022 धारा 380,411,457 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
13. मु०अ०सं०-296/2022 धारा 379,411 बीएनएस थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
14. मु०अ०सं०-297/2022 धारा 25,3 आर्म्स एक्ट थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
15. मु०अ०सं०-0078/2023 धारा 25,3 आर्म्स एक्ट थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
16. मु०अ०सं०-0357/2020 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
17. मु०अ०सं०-0484/2020 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
18. मु०अ०सं०-0361/2024 धारा 305(a),317(2),331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।
19. मु०अ०सं०-0396/2024 धारा 305(a),317(2),331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं०- 232/2026 अंतर्गत धारा 305(a)बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना पीजीआई लखनऊ ।
2. मु०अ०सं०-243/2026 धारा 305(ए)/62 बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण -

1. कुल 3250/- रूपये बरामद।
2. 01 अदद मोटर साइकिल संख्या UP32MJ6152।
3. एक प्लेट जिस पर अंग्रेजी में I'MA SANGRONIAN SANGRO GOLF CUP WINNER दिनांक 04 April 2026 छपा हुआ ।
4. एटीएम कार्ड SBI CARD जिसका नं० 4047 4575 1645 9426 valid thru 02/31 RAJESH SHAH ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-766
दिनांक-11.05.2026

जोन-उत्तरी कमिश्नरेट लखनऊ

सर्विलांस सेल कार्यालय पुलिस उपायुक्त उत्तरी जोन कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा 101 गुमशुदा मोबाइल बरामद (कीमत लगभग 21 लाख रू0)।

कार्यवाही

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशानुसार नागरिकों के खोये हुये मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त उत्तरी कार्यालय में उत्तरी जोन थाना क्षेत्रों से मोबाइल गुमशुदगी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सर्विलांस पर लगाकर बरामद किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में पुलिस उपायुक्त, उत्तरी श्री गोपाल कृष्ण चौधरी व अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी सुश्री ट्विंकल जैन के पर्वेक्षण में तथा उ0नि0 श्री दीपक कुमार क्राइम/सर्विलांस टीम प्रभारी के कुशल निर्देशन में गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी हेतु सर्विलांस सेल उत्तरी टीम द्वारा अथक परिश्रम एवं मेहनत के फल स्वरूप विभिन्न कम्पनियों के कुल 101 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन लखनऊ व अन्य जनपद से बरामद किये गये।

जिन्हे पुलिस उपायुक्त उत्तरी महोदय द्वारा आज दिनांक 11.05.2026 को उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को प्रदान किया गया। अपने खोए हुए मोबाइल फोन को प्राप्त कर नागरिकों द्वारा श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तरी महोदय व सर्विलांस सेल/क्राइम टीम उत्तरी की प्रशंसा की गयी।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 101 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन कीमत करीब 21 लाख रूपये।

बरामद करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 दीपक कुमार क्राइम/सर्विलांस टीम प्रभारी
2. हे0का0 नदीम क्राइम टीम उत्तरी
3. हे0का0 अवधेश गिरी क्राइम टीम उत्तरी
4. हे0का0 अमित कुमार गौतम सर्विलांस सेल टीम उत्तरी
5. हे0का0 संतोष कुमार सर्विलांस सेल टीम उत्तरी
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह सर्विलांस सेल टीम उत्तरी
7. का0 विशेष दुहूण क्राइम टीम उत्तरी









पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-771
दिनांक-11.05.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

लखनऊ पुलिस की अपराध एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार अभियान

जारी- संगठित अपराध में संलिप्त गैंग के सदस्यों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

- गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त बहराइच एवं अयोध्या जनपद से अभियुक्तों की गिरफ्तारी
- एनडीपीएस एक्ट के गंभीर अभियोगों में पूर्व से दर्ज हैं मुकदमे

01-संक्षिप्त विवरण:-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निर्देशन में थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

दिनांक 15.04.2026 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक इन्दिरानगर श्री अजय नारायण सिंह द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदन उपरान्त थाना इन्दिरानगर पर मु०अ०सं०-104/2026 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक गुडम्बा श्री अन्जनी कुमार मिश्र को सुपुर्द की गयी थी।

गैंगस्टर एक्ट के इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना इन्दिरानगर पुलिस टीम लगातार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में दिनांक 10.05.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण—

1. नफीस अहमद पुत्र इकबाल हसन निवासी 13 बजरिया थाना हरदी जनपद बहराइच
2. गुलाब खान पुत्र हबीबउल्ला खान निवासी रसूलपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या
3. शहनशाह पुत्र निहाल अहमद निवासी रसूलपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या

को उनके निवास स्थानों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना इन्दिरानगर लाकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

गिरफ्तार अभियुक्त संगठित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने का कार्य करते थे। अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के गंभीर अभियोग पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. नफीस अहमद पुत्र इकबाल हसन नि०- 13 बजरिया ,थाना हरदी जिला बहराइच उ०प्र०
2. गुलाब खान पुत्र हबीबउल्ला खान निवासी –रसूलपुर थाना रौनाही जिला अयोध्या उ०प्र०
3. शहनशाह पुत्र निहाल अहमद निवासी –रसूलपुर थाना रौनाही जिला अयोध्या उ०प्र०

04-आपराधिक इतिहास

(नफीस अहमद पुत्र इकबाल हसन)

1.मु0अ0सं0 0188/2021 धारा 8/22/29/27ए/60(3) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

2.मु0अ0सं0 0277/2022 धारा 323/494/498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट व ¾ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारो की सुरक्षा) अधिनियम 2019, महिला थाना जिला बहराइच।

(गुलाब खान पुत्र हबीबउल्ला खान)

1.मु0अ0सं 0188/2021 धारा 8/22/29/27ए/60(3) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

(शहनशाह पुत्र निहाल अहमद)

1.मु0अ0सं 0188/2021 धारा 8/22/29/27ए/60(3) स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

06- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर लखनऊ-

1.श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

2.उ0नि0 श्री आशीष कुमार पाण्डेय, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

3.हे0का0 राजीव कुमार, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

4.का0 शेर बहादुर यादव, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 11.05.2026

थाना निगोंहा की मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों से किया जागरूक।

थाना निगोंहा की मिशन शक्ति टीम ने ग्राम मस्तीपुर थाना निगोंहा पर 'मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड और फर्जी कॉल जैसे मुद्दों पर विस्तृत जानकारी के साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और महिला शक्ति केंद्र के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना निगोंहा मिशन शक्ति टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत **ग्राम मस्तीपुर थाना निगोंहा** में महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- म030नि0 गायत्री, थाना निगोंहा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी आरती, थाना निगोंहा, लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम **मस्तीपुर** थाना निगोंहा

प्रतिभाग-

- पीआरडी हर्षित, थाना निगोंहा, लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम **मस्तीपुर** थाना निगोंहा में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, आज दिनांक 11.05.2026 को थाना निगोंहा की मिशन शक्ति टीम द्वारा **ग्राम मस्तीपुर थाना निगोंहा** पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों म030नि0 गायत्री, म0का0 पूजा सक्सेना, द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

पुलिस टीम द्वारा संवाद के दौरान महिलाओं को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों, जैसे 112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) एवं 181 (महिला हेल्पलाइन) के उपयोग और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और निडर बनने के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल समाज में सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने और पुलिस व जनता के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

आयोजित 'मिशन शक्ति फेज 0.5' जागरूकता कार्यक्रम एक अत्यंत सराहनीय और प्रभावी पहल थी। इस कार्यक्रम ने निम्नलिखित बिंदुओं में सफलता प्राप्त की:

1. साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और बैंक धोखाधड़ी जैसे वर्तमान समय के प्रासंगिक खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई गई।
2. केवल समस्याएं बताने के बजाय, उनसे बचने के लिए व्यावहारिक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
3. 1090, 112, 1930, 1098 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और सेवाओं से अवगत कराकर छात्राओं को आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने का विश्वास दिलाया गया।
4. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की 'मिशन शक्ति' पहल के प्रमुख लक्ष्यों—विशेष रूप से महिला सुरक्षा, जागरूकता सृजन, साइबर सुरक्षा और सहायता तंत्र को मजबूत करने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुआ।
5. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।

यह जागरूकता सत्र न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित रहने का ज्ञान प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के प्रति सजग बनाकर उन्हें सशक्त भी बनाया। ऐसे प्रयास महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की नींव रखते हैं।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

मिशन शक्ति 5.0: शांतिनगर क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं को सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबरों के प्रति किया जागरूक।

दिनांक-11.05.2026

थाना सरोजनीनगर की टीम ने मिशन शक्ति के तहत थानाक्षेत्र सरोजनीनगर के राजकीय सैनिक स्कूल में जाकर छात्राओं व महिलाओं को पिंक बूथ, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी देकर किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना सरोजनीनगर की टीम द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक पूजा यादव, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक यशवन्त सिंह, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सविता देवी, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सुनीता यादव, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- एन्टीरोमियो पुलिस टीम थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- थानाक्षेत्र सरोजनीनगर के राजकीय सैनिक स्कूल में

प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी सविता देवी, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी सुनीता यादव, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- एन्टीरोमियो पुलिस टीम थाना सरोजनीनगर लखनऊ कमिश्नरेट
- थानाक्षेत्र सरोजनीनगर के राजकीय सैनिक स्कूल में जाकर जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु संचालित 'मिशन शक्ति' के क्रम में आज दिनांक 11-05-2026 को थाना सरोजनीनगर, लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत महिला उपनिरीक्षक साधना, महिला कांस्टेबल सुनीता यादव एवं महिला कांस्टेबल सविता देवी की टीम ने राजकीय सैनिक स्कूल में जाकर एवं क्षेत्र में भ्रमणशील होकर छात्राओं एवं महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। भ्रमण के दौरान पुलिस टीम द्वारा उपस्थित जनसमूह को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों जैसे—विमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। टीम ने महिलाओं को किसी भी अप्रिय घटना या असुरक्षा की स्थिति में बिना डरे तत्काल सहायता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया और यह विश्वास दिलाया कि शासन एवं पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।

निष्कर्ष एवं महत्व:

"मिशन शक्ति" का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित, सजग और सशक्त बनाकर एक भयमुक्त और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करना है। यह केवल अपराधों पर प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि एक सक्रिय और रोकथाम-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0- हर कदम पर सुरक्षा, हर हाथ में शिक्षा, हर महिला का अपना अधिकार।

थाना बिजनौर टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में मिशन शक्ति के तहत किया महिलाओं को किया गया जागरूक।

दिनांक- 11.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बिजनौर द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उप-निरीक्षक उप निरीक्षक आराधना वर्मा थाना बिजनौर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला कांस्टेबल अमृता प्रतिभा थाना बिजनौर, लखनऊ कमिश्नरेट मय एंटी रोमियो टीम, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ उपस्थित रही।
- थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर, में।

प्रतिभाग-

- महिला कांस्टेबल अमृता प्रतिभा थाना बिजनौर, लखनऊ कमिश्नरेट मय एंटी रोमियो टीम, थाना बिजनौर, लखनऊ उपस्थित रही।
- थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में जागरूकता महिलाओं को किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत थाना बिजनौर पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 11/05/2026 को थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य एवं महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया।

अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं उपस्थित लोगों को महिलाओं एवं पुरुषों से संबंधित विभिन्न पुलिस हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 181, 1076 एवं अन्य महत्वपूर्ण सहायता नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क एवं यूपी कॉप ऐप की उपयोगिता एवं आवश्यकता के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया दुरुपयोग, ओटीपी शेयरिंग एवं साइबर ठगी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी देते हुए किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया।

महिलाओं को सुरक्षा के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा हेल्पलाइन सेवाओं का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

उक्त जागरूकता कार्यक्रम में क्रमशः-

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0- हर कदम पर सुरक्षा, हर हाथ में शिक्षा, हर महिला का अपना अधिकार।

थाना बिजनौर टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में मिशन शक्ति के तहत किया महिलाओं को किया गया जागरूक।

दिनांक- 11.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बिजनौर द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उप-निरीक्षक उप निरीक्षक आराधना वर्मा थाना बिजनौर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला कांस्टेबल अमृता प्रतिभा थाना बिजनौर, लखनऊ कमिश्नरेट मय एंटी रोमियो टीम, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ उपस्थित रही।
- थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर, में।

प्रतिभाग-

- महिला कांस्टेबल अमृता प्रतिभा थाना बिजनौर, लखनऊ कमिश्नरेट मय एंटी रोमियो टीम, थाना बिजनौर, लखनऊ उपस्थित रही।
- थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में जागरूकता महिलाओं को किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत थाना बिजनौर पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 11/05/2026 को थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सरवन नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य एवं महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया।

अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं उपस्थित लोगों को महिलाओं एवं पुरुषों से संबंधित विभिन्न पुलिस हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 181, 1076 एवं अन्य महत्वपूर्ण सहायता नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क एवं यूपी कॉप ऐप की उपयोगिता एवं आवश्यकता के संबंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया दुरुपयोग, ओटीपी शेयरिंग एवं साइबर ठगी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी देते हुए किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रेरित किया गया।

महिलाओं को सुरक्षा के प्रति सजग रहने, किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा हेल्पलाइन सेवाओं का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

उक्त जागरूकता कार्यक्रम में क्रमशः-

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 11.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 - "डिजिटल सुरक्षा का मंत्र - सतर्कता, जागरूकता और हेल्पलाइन नंबर"

थाना मदेयगंज की मिशन शक्ति, पिंक स्कूटी व एंटी रोमियो टीम द्वारा मोहन मेकिंग रोड मुमताज पीजी कॉलेज के आसपास भ्रमणशील रहकर महिलाओ/बालिकाओं को मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ,साईबर जागरूकता से बचाव हेतु और नए कानून के संबंध में किया जागरूक, हेल्प लाईन नम्बर एवं यूपी काप आदि योजनाओ के बारे में दी जानकारी ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना मदेयगंज क्षेत्र के मोहन मेकिंग रोड मुमताज पीजी कॉलेज के आसपास भ्रमणशील रहकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/ अयोजन स्थल / प्रतिभाग

- महिला हेड का0 पूनम सिंह थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला हेड का0 आरती देवी थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0आ0 आंचल सिंह थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- मा0 आ0 आशा कुमारी थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- मोहन मेकिंग रोड मुमताज पीजी कॉलेज के आसपास भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों विस्तृत जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 11.05.2026 को थाना मदेयगंज क्षेत्र स्थित डालीगंज क्रॉसिंग थाना मदेयगंज लखनऊ के आसपास भ्रमणशील महिलाओं एवं बच्चों को डिजिटल सुरक्षा, महिला अधिकारों एवं नारी स्वावलंबन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, सीईआईआर पोर्टल, यूपी-कॉप ऐप के उपयोग, तथा 112, 1090, 1076, 101, 108 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, ओटीपी शेयर न करने, ऑनलाइन भुगतान में सतर्कता बरतने और डिजिटल अरेस्टिंग जैसी भ्रांतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, थाने में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र और मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका से भी अवगत कराया गया तथा जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

महिलाओं / बच्चों को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

- * 1090 (वुमेन पावर लाइन)
- * 112 (आपातकालीन सेवा)
- * 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

2. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

- * सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
- * साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

महिलाओं / बच्चों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य:

यह पहल निश्चित रूप से "बच्चों में महिला सुरक्षा, सम्मान और साइबर अपराधों के प्रति सजगता" के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऐसे प्रयासों को और अधिक व लगातार जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि एक सुरक्षित और न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 11.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत उनके अधिकारों और कानून के प्रति छात्राओं को किया गया

जागरूक।

थाना रहीमाबाद द्वारा भ्रमणशील होकर कस्बा रहीमाबाद में महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक, उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

थाना रहीमाबाद टीम द्वारा भ्रमणशील होकर "मिशन शक्ति 5.0" अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं एवं छात्राओं ने साइबर सुरक्षा का प्रण लिया और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने के महत्व को समझा। महिलाओं को साइबर खतरों से बचाव के व्यावहारिक उपाय सिखाए गए, जिससे उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम नई पीढ़ी को सशक्त बनाने और डिजिटल युग में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- उपनिरीक्षक अनिल कुमार वर्मा थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला उपनिरीक्षक संध्या पटेल थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी प्रियंका डागर, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी सुषमा, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट।
- कस्बा रहीमाबाद थाना रहीमाबाद लखनऊ में।

प्रतिभाग-

- उपनिरीक्षक अनिरुद्ध मिश्रा थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी रुबिया खान, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट।
- कस्बा रहीमाबाद थाना रहीमाबाद लखनऊ में भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2026 को थाना रहीमाबाद टीम द्वारा कस्बे में भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में महिलाओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी कोप एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।